

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

रण संख्या :- 19/2020 (2020/00058)
पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

दर्ज दिनांक 18.02.2020

शीर्षक

1. रामप्यारी देवी पत्नि स्व0 बद्रीलाल पारीक (ब्राह्मण)
 2. सीतादेवी पत्नि जमनेश पारीक (ब्राह्मण)
- सर्व निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

--प्रार्थीयागण

बनाम

1. सोहनलाल पिता रूपलाल पारीक (ब्राह्मण)
 2. कैलाश चन्द्र पिता भैरूलाल पारीक (ब्राह्मण)
 3. चन्द्रशेखर पिता भैरूलाल पारीक (ब्राह्मण)
 4. सत्यनारायण पिता भैरूलाल पारीक (ब्राह्मण)
 5. बबलु पिता सोहनलाल अचारत
 6. तुसार पिता सोहनलाल अचारत
 7. मु0 माया बैवा सोहनलाल अचारत
- सर्व निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

--विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री मुकेश कुमार चौधरी


:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-03.11.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयागण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीयागण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3373 रकबा 0.20 हे0, आराजी संख्या 3379 रकबा 0.10 , 6849 रकबा 0.43 हे0, 6850 रकबा 0.61 हे0, 6851 रकबा 0.21 हे0 6854 रकबा 0.73 हे0, 6855 रकबा 0.06 हे0 कुल कित्ता 07 कुल रकबा 2.34 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 1367 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीयागण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थीयागण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीयागण के अधिवक्ता को सुना गया।





उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आवादी में प्रार्थीयागण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3373 रकबा 0.20 हे0, आराजी संख्या 3379 रकबा 0.10, 6849 रकबा 0.43 हे0, 6850 रकबा 0.61 हे0, 6851 रकबा 0.21 हे0 6854 रकबा 0.73 हे0, 6855 रकबा 0.06 हे0 कुल किता 07 कुल रकबा 2.34 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 1367 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीयागण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 800/- (आठ सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 800/- (आठ सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीयागण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विकास पंचोली)
उप-खण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाडी)
मुहम्मदिया सहाड़ा